

12-26 पत्रावली के तहत हुनम तत्काल प्रार्थी द्वारा लहरा पर वादी
वकील को सुना गया। लहरा पर गनल लिजट/पत्रावली
इसके प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का बहिष्कार
अवलोकन किया गया। पिछले हफ्ता इस नतीजे पर पहुंचे
हैं कि प्रकरणसे संबंधित कानून में पत्रावली के हक
का निराकरण साक्ष्य न सफल तथा गुणवत्ता के आधार
पर ही शकित। तथा अवलोकन के बाद यह बात है कि
प्रकार दुष्प्रकार मागला एवं सुविधा का संतुलक प्रार्थी
के हक में प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का पत्र प्रार्थी इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली के तहत हुनम होकर बैलर के कानून
तथा संलग्न मूल वाद है।

bc
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राजगं